



ज्ञांति झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

पत्रांक : /जे0डी0ए0(2019-20)

दिनांक

2019

आवंटन पत्र

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए0एच0पी0 करारी -01 में भवन आवंटन के संबंध में।
सेवा में,

श्रीमती :

पता :

कम्प्यूटर क्रमांक :

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार भवन का आवंटन आपको किया जाता है :-

श्रेणी :	सा0/पि0 वर्ग/अनु0जा0/अनु0जन0जा0	भवन संख्या :	-----
योजना :	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए0एच0पी0	तल :	भूतल/प्रथम/द्वितीय/तृतीय
ब्लॉक :	-----	उपयोजना :	करारी-01
सम्पत्ति का प्रकार :	दुर्बल आय वर्ग	सम्पत्ति मूल्य :	रू0 450000.00
क्षेत्रफल :	22.77 वर्ग मी0		
दिव्यांग :	नहीं	वरिष्ठ नागरिक :	नहीं

भुगतान की शर्तें :

क्रम संख्या	देय का प्रकार	धनराशि (रू0)	प्रथम किश्त की तिथि	किश्तों की संख्या	ब्याज दर	बिलम्ब की स्थिति में देय ब्याज
1	आवंटन धनराशि	50000.00	30.09.2019	0	0	13% वार्षिक
2	शेष 03 किश्त	50000.00	03 छमाही	3	0	13% वार्षिक
3	कुल देय धनराशि	200000.00				

भुगतान सम्बन्धी विवरण :-

आपको अवशेष धनराशि निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर रजिस्ट्रेशन/प्रापर्टी आई डी के विवरण सहित प्राधिकरण/सम्बन्धित बैंक काउंटर में जमा करना आवश्यक होगा।

किश्त संख्या	किश्तों के भुगतान हेतु निर्धारित तिथियां	मूल धनराशि	ब्याज की धनराशि	कुल धनराशि
1	30.09.2019 से पूर्व	50000.00	0	50000.00
2	31.03.2020 से पूर्व	50000.00	0	50000.00
3	30.09.2020 से पूर्व	50000.00	0	50000.00
4	31.03.2021 से पूर्व	50000.00	0	50000.00
	कुल योग	200000.00	0	200000.00

—: नियम व शर्तें :-

1. किश्त अन्तिम तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में जमा की जा सकती है। किश्तों की धनराशि बिलम्ब से जमा करने की दशा में 13 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय होगी। उपरोक्त देय धनराशि HDFC Bank की किसी भी शाखा में खाता संख्या-50100301406527 जमा की जायगी।
2. नियमानुसार जी0एस0टी0 की धनराशि अतिरिक्त देय होने पर जमा करनी होगी।
3. भवन के हस्तांतरण के समय रू0 4500.00 अनुरक्षण फण्ड एवं 4500.00 कारपस फण्ड हेतु जमा करने होंगे।
4. यदि आवंटी द्वारा आवंटित भवन का सर्पण धनराशि जमा करने के पूर्व किया जाता है, तो उस स्थिति में सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. यदि आवंटी द्वारा भुगतान विवरण के अनुसार किश्त अदा नहीं की जाती है, तो भवन का आवंटन निरस्त करते हुए आवंटन की धनराशि रू0 50000.00 में से 20 प्रतिशत धनराशि कटौती कर अवशेष समस्त धनराशि वापस कर दी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तर दायी होंगे।
6. भवनों को आवंटन 90 वर्ष की लीज के आधार पर किया जा रहा है।
7. आवंटी को पट्टा अभिलेख निष्पादन के पश्चात भवन का कब्जा पत्र प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर ही उपलब्ध कराया जाएगा एवं भवन का कब्जा भी स्वयं उपस्थित होने पर दिया जाएगा।
8. निर्धारित विक्रय मूल्य जमा किये जाने के पश्चात निर्धारित मूल्य रू0 500.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर तथा रू0 50.00 अतिरिक्त स्टाम्प पेपर व पासपोर्ट साइज के चार फोटो जमा करा कर शासन के निर्देशानुसार लीज अभिलेख अपने पक्ष में निष्पादित कराना होगा।
9. आवंटी को विद्युत कनेक्शन स्वयं अपने व्यय पर प्राप्त करना होगा तथा विद्युत संयोजन एवं बिल आदि का भुगतान आवंटी द्वारा स्वयं सम्बन्धित विभाग को किया जाएगा।
10. यह आवंटन पत्र आवंटी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण, झाँसी (डूडा) निदेशक सूझा द्वारा किये गये सत्यापन के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है। किसी भी समय यह पाये जाने पर कि आपके द्वारा गलत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत की गयी थी अथवा डूडा/सूझा द्वारा आपकी पात्रता के संबंध प्रतिकूल निर्णय लिये जाने की स्थिति में यह आवंटन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा एवं जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
11. यह आवंटन पत्र इस आधार पर निर्गत किया जा रहा है कि :-
 1. आवंटी या उसके परिवार के नाम भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है।
 2. आवंटी द्वारा सरकार द्वारा प्रयोजित किसी भी आवासीय योजना में लाभ नहीं लिया गया है।
 3. आवंटी द्वारा कभी भी भवन को विक्रय/पट्टा/हस्तांतरण किराये पर नहीं दिया जाएगा।
 4. आवंटी द्वारा कब्जा पत्र प्राप्त करने के एक माह के अन्दर भवन का कब्जा प्राप्त कर लिया जाएगा अन्यथा नियमानुसार चौकीदारों शुल्क देय होगा।
12. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

भवदीय

सम्पत्ति अधिकारी
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।